



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230517
CG-DL-E-19102021-230517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3956]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/ आश्विन 26, 1943

No. 3956]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4305(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मणिपुर राज्य के इम्फाल वेस्ट जिले में NH2 के कि.मी. 287 से कि.मी.308.46 (D.C. ऑफिस काम्प्लेक्स, लाम्फेलपात, इम्फाल वेस्ट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मणिपुर राज्य के इम्फाल वेस्ट जिले में NH2 के कि.मी. 287 से कि.मी. 308.46 (D.C. ऑफिस काम्प्लेक्स, लाम्फेलपात, इम्फाल वेस्ट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मणिपुर		जिले का नाम: इम्फाल वेस्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सेकमाई					
गांव का नाम: २३-खोंहाम्पात					
1	1095	निजी	ड्राई	0.0085497(एकर)	0.0034600
2	1204	निजी	ड्राई	0.0478920(एकर)	0.0193816
गांव का नाम: ३०-सेकमाई					
1	2838	निजी	ड्राई	0.0051048(एकर)	0.0020659
2	2839	निजी	ड्राई	0.0262325(एकर)	0.0106161
3	2839/3318	निजी	ड्राई	0.0062225(एकर)	0.0025182
4	2841	निजी	ड्राई	0.0073132(एकर)	0.0029596
5	2841/3268	निजी	ड्राई	0.0073132(एकर)	0.0029596
6	2841/9361	निजी	ड्राई	0.0073132(एकर)	0.0029596
7	2841/9362	निजी	ड्राई	0.0073132(एकर)	0.0029596
8	2844	निजी	ड्राई	0.0140403(एकर)	0.0056820
9	2853	सरकारी	ड्राई	0.0025560(एकर)	0.0010344
10	3183/9172	निजी	ड्राई	0.0029603(एकर)	0.0011980
11	3183/9173	निजी	ड्राई	0.0028318(एकर)	0.0011460
12	648	निजी	ड्राई	0.0400327(एकर)	0.0162010
गांव का नाम: ३१-कंगलाटोंगबी					
1	3054/3284	निजी	ड्राई	0.0221568(एकर)	0.0089667
2	3262	सरकारी	ड्राई	0.4289038(एकर)	0.1735750

3	5261	सरकारी	ड्राई	0.1061596(एकर)	0.0429622
4	5261/5783	निजी	ड्राई	0.0760275(एकर)	0.0307679
5	5261/5860	निजी	ड्राई	0.0132470(एकर)	0.0053610
6	5261/Road	सरकारी	ड्राई	0.0305978(एकर)	0.0123828
7	5261A	सरकारी	ड्राई	0.0021078(एकर)	0.0008530
8	5261B	सरकारी	ड्राई	0.0205735(एकर)	0.0083260
9	5261C	सरकारी	ड्राई	0.0109159(एकर)	0.0044176
गांव का नाम: ३६-टेन्डोंयांग					
1	1219	सरकारी	ड्राई	0.0017536(एकर)	0.0007097
कुल				0.8981	0.3635

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SPT/NH-39/Pkg-V/2021/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4305(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH2 in the stretch of land from Km. 287 to Km. 308.46 (D.C. Office Complex , Lamphelpat , Imphal West) in the district of IMPHAL WEST in the state of MANIPUR, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH2 in the stretch of land from Km. 287 to Km. 308.46 (D.C. Office Complex, Lamphelpat, Imphal West) in the district of IMPHAL WEST in the State of MANIPUR.

State: MANIPUR		District: IMPHAL WEST			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sekmai					
Village: 23-Khonghampat					
1	1095	Private	Dry	0.0085497(Acre)	0.0034600
2	1204	Private	Dry	0.0478920(Acre)	0.0193816
Village: 30-Sekmai					
1	2838	Private	Dry	0.0051048(Acre)	0.0020659
2	2839	Private	Dry	0.0262325(Acre)	0.0106161
3	2839/3318	Private	Dry	0.0062225(Acre)	0.0025182
4	2841	Private	Dry	0.0073132(Acre)	0.0029596
5	2841/3268	Private	Dry	0.0073132(Acre)	0.0029596
6	2841/9361	Private	Dry	0.0073132(Acre)	0.0029596
7	2841/9362	Private	Dry	0.0073132(Acre)	0.0029596
8	2844	Private	Dry	0.0140403(Acre)	0.0056820
9	2853	Government	Dry	0.0025560(Acre)	0.0010344
10	3183/9172	Private	Dry	0.0029603(Acre)	0.0011980
11	3183/9173	Private	Dry	0.0028318(Acre)	0.0011460
12	648	Private	Dry	0.0400327(Acre)	0.0162010
Village: 31-Kanglatongbi					
1	3054/3284	Private	Dry	0.0221568(Acre)	0.0089667
2	3262	Government	Dry	0.4289038(Acre)	0.1735750
3	5261	Government	Dry	0.1061596(Acre)	0.0429622
4	5261/5783	Private	Dry	0.0760275(Acre)	0.0307679
5	5261/5860	Private	Dry	0.0132470(Acre)	0.0053610
6	5261/Road	Government	Dry	0.0305978(Acre)	0.0123828
7	5261A	Government	Dry	0.0021078(Acre)	0.0008530
8	5261B	Government	Dry	0.0205735(Acre)	0.0083260
9	5261C	Government	Dry	0.0109159(Acre)	0.0044176
Village: 36-Tendonyang					
1	1219	Government	Dry	0.0017536(Acre)	0.0007097
Total				0.8981	0.3635

[F. No. NHIDCL/PMU-SPT/NH-39/Pkg-V/2021/3A]

RAJESH GUPTA, Director